सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण संचालनालय मध्यप्रदेश
पत्रकार कॉलोनी, लिंक रोड नम्बर-3, भोपाल- 462016
फोन- 0755-2556916,ईमेल- dir.socialjustice@mp.gov.in

//विज्ञापन प्रारूप//

संचालनालय सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरणलिंक रोड नम्बर 3 पत्रकार कॉलानी भोपाल के परिसर में स्थित 03 शाप (दुकाने), जो कि 8ftX 10ft (80 Sq. ft)में निर्मित है, को अनुबंध के आधार पर मासिक किराये पर न्यूनतम 1 वर्ष के लिये दिये जाने हेतु ऑफर आमंत्रित किये जाते है। उक्त दुकानों का उपयोग किये जाने हेतु दिव्यांगजनों को प्राथमिकता दी जावेगी। साथ ही दुकानों का संचालक ऐसी सामग्री के विक्रय/उपयोग हेतु किया जायेगा, जो शासकीय कार्यालय की गरिमा के अनुरूप हो। दुकान संचालक के उपयोग/प्रयोजक के संबंध में अंतिम निर्णय आयुक्त सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण का मान्य होगा।

उपरोक्त संबंध में प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन का प्रारूप एवं आवश्यक शर्तें विभागीय वेबसाईट https://socialjustice.mp.gov.in पर उपलब्ध है। आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि **04** फरवरी 2026 है।

आयुक्त द्वारा आदेशित

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन
सशक्तिकरण संचालनालय

संचालनालय सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरणलिंक रोड नम्बर 3 पत्रकार कॉलानी भोपाल के परिसर में

दुकान किराये पर देने हेतु आवेदन पत्र

प्रति,

आयुक्त
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण संचालनालय
लिंक रोड नम्बर 3, पत्रकार कॉलोनी,
भोपाल मध्यप्रदेश- 462016

विषयः सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण संचालनालय लिंक रोड नम्बर 3, पत्रकार कॉलोनी भोपाल परिसर पर स्थितदुकान किराये पर देने हेतु आवेदन।

महोदय/महोदया,

मैं, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण संचालनालय लिंक रोड नम्बर 3, पत्रकार कॉलोनी भोपाल परिसर पर स्थित 8X10 (80sq ft) की दुकान को किराये पर लेने हेतु इच्छुक है। मेरे सामान्य विवरण निम्नानुसार :-

आवेदक का विवरण

नामः ____

पताः ____

मोबाईल नम्बर ______________________ईमेल ______________________

आधार नम्बर______________________पेन कार्ड ______________________

दिव्यांगता का प्रकार (दिव्यांग होने पर) ____________________प्रतिशत ________

यू.डी.आई.डी. नंबर ______________________

मेरे द्वारा निम्नलिखित नियम और शर्तो का पालन किया जावेगा :-

1. **किरायाः** प्रति माह किराया न्यूनतम 10,000/- रुपये है, जो इससे अधिक का ऑफर देने हेतु सहमत है, वह राशि रूपये .... का लेख करें। किराये की राशि अग्रिम के रूप में प्रतिमाह 1 से 5 तारीख तक जमा की जायेगी। विलंब की स्थिति में प्रतिदिन का विलंब शुल्क राशि रूपये 100/- भी जमा करना होगा। दिव्यांगजनों द्वारा दुकान संचालित करने की स्थिति में न्यूनतम किराये में छूट दिये जाने पर विचार किया जा सकेंगा।

2. **किराये की अवधि:** किराये के लिए अनुबंध न्यूनतम 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। अनुबंध अवधि में आगामी वर्षों के लिए वृद्धि हेतु 5% की प्रति वर्ष के मान से किराये में वृद्धि की जावेगी। अनुबंध अवधि के पूर्व प्रथम पक्षकार द्वारा किसी भी समय 1 माह का नोटिस दिया जाकर दुकान रिक्त कराई जा सकेंगी। किरायेदार द्वारा भी 1 माह का नोटिस दिया जाकर दुकान रिक्त की जा सकती है। अनुबंध अवधि की समाप्ति पर दुकान उसी स्थिति में वापस की जानी होगी जिस स्थिति में दी जा रही है।

3. **सुरक्षा राशि (Security Deposit):** किरायेदार को अग्रिम रूप से 25,000/- रुपये जमा करने होंगे, जो दुकान खाली करते समय वापस कर दिए जाएंगे। यदि किरायेदार द्वारा दुकान में नुकसान या कोई देय राशि है, तो वह राशि सुरक्षा राशि से वसूल की जायेगी।

4. **बिजली और पानी का बिल:** बिजली और पानी के बिल का भुगतान आवेदक द्वारा वास्तविक खपत के आधार पर किया जाएगा।

5. **रखरखाव:** दुकान के दैनिक रखरखाव की जिम्मेदारी किरायेदार की होगी। साथ ही साफ-सफाई की जिम्मेदारी किरायेदार की होगी।

6. **पार्किंग :** दुकान के कार्यरत एवं आने-जाने वाले व्यक्तियों के वाहन आदि परिसर के बाहर ही पार्क करना होगा।

7. **Rent Agreement (किरायानामा) :**दोनो पक्षकार के मध्य किरायानामाकी प्रक्रिया संपादित की जावेगी। जिसमें स्टाम्प पेपर व अन्य का शुल्क आवेदक का होगा।

8. **अन्य कार्य/प्रयोजन** : दुकान जिस प्रयोजन हेतु दी जावेगी, उसके अतिरिक्त अन्य प्रयोजन से संचालन की अनुमति नहीं होगी।

9. **अन्य शर्तें:** दुकान का उपयोग केवल ऐसे प्रयोजन के लिए किया जावेगा जो शासकीय कार्यालय की गरिमा के अनुरूप हो और किसी भी अवैध गतिविधि की अनुमति नहीं होगी। अवैध गतिविधि पाई जाने पर बगैर किसी नोटिस के दूकान खाली कराई जा सकेगी।

मैं उपरोक्त सभी शर्तों से सहमत हूँ।

दिनांक :

स्थान :

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

किरायेदार का नामः ____________